फार्म नं.– III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी **मुकाम श्रीविजयनगर**

प्रीतपाल सिंह **बनाम** तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम नम्बर ....56.... सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी :2025/...104........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
08.05.2025	प्रकरण राजस्व शाखा कार्यालय हाजा से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ है। प्रार्थी प्रीतपाल सिंह की की ओर से दिनांक 03.02.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरए प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि चक 32 जीबी मु.नं. 5 कि. नं. 13/1 व 18/1 में पैट्रोल पम्प लगा हुआ है, जो वर्तमान रिकार्ड में कि.नं. 14 व कि.नं. 17 के साथ चिपता हुआ दर्शाया जा रहा है जो गलत है। पैट्रोल पम्प कि.नं. 12 के साथ चिपता है ना कि किला नं. 14,17 के साथ। इस प्रकार इसकी दिशा ही बदल दी गई है। मौके पर एवं पूर्व रिकार्ड अनुसार उक्त पैट्रोल पम्प श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के द्वारा कि.नं. 13/1 व 18/1 जो कि कि.नं. 12 के साथ चिपता संपरिवर्तित किया गया था, जो कि रिकार्ड ऑन–लाईन करते वक्त त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज हो गया है। संशोधन करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश देने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भू.अ. श्रीविजयनगर के द्वारा रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2025/801 दिनांक 04.03.2025 के अनुसार सेग्रीगेशन से पूर्व कि.नं. 13 व 18 की तरमीम नहीं थी। सेग्रीगेशन के समय उक्त कि.नं. में तरमीम होने के समय पैट्रोल पम्प के कि.नं. 13/1, 18/1 की तरमीम क्रमशः कि.नं. 14, 17 के चिपती पूर्व दिशा में हो गई थी, जबकि मौके पर पैट्रोल पम्प के कि.नं. 18/1 कि.नं. 18/12 के चिपता तथा कि.नं. 13/1 कि.नं. 12 से 9 फुट उत्तर दक्षिण छोड़ते हुए स्थित है। मौका स्थिति जो कि सेग्रीगेशन से पूर्व व आज दिनांक के अनुसार पैट्रोल पम्प के कि.नं. 13/1, 18/1 क्रमशः कि.नं. 14, 17 के चिपता न होकर पश्चिम दिशा में है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ भूमि संपरिवर्तन संबंधित दस्तावेज पेश किये का अवलोकन किया। पत्रावली का परिशीलन करने एवं रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी के पैट्रोल पम्प के कि.नं. 13/1 व 18/1 की तरमीम मौका स्थिति से भिन्न है। जिसकी दुरूस्ती की जानी न्यायसंगत है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्र[illegible] स्वीकार करते हुए तहसीलदार श्रीविज[illegible] जाता है कि प्रार्थी की भूमि गै.मु. पैट्[illegible]है. व कि.नं. 18/1 की 0.099है. [illegible]स्थिति अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्ती की जावे। [illegible]य की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। शकुन्तला उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:36:34 IST
Reason: SelfAttested